न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2017 (राजसमन्द आर्डर)

श्री डाउराम पिता पेमाराम जी बुनकर निवासी कहारी ठीकरवास तहसील भीम जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम़ जिला राजसमन्द

..... रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
जिला कलक्टर राजसमन्द दि.18–5–2016
प्रकरण संख्या 02/2016

————/————

उपस्थित :–1– श्री शेषमल गाडरी अभिभाषक अपीलान्ट
2– राजकीय अधिवक्ता

————/————

आदेश **दिनांक 11–12–2017**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीम के यहां प्रकरण संख्या 77/2002 में अपीलान्ट को ग्राम कहारी की बिलानाम आराजी संख्या 1382मीन रकबा 5 बिस्वा पर अतिक्रमी होना पाया जाकर निर्माण कर लिए जाने के कारण बेदखली एवं शास्ती का आदेश दिनांक 15–11–02 को पारित किया । उक्त दिनांक 15–11–2002 के आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द के यहां अपील संख्या 2/2016 पेश की । प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 16–8–2016 को उक्त प्रथम अपील खारिज कर दी। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–11–2016 को पेश की।

अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द के निर्णय दिनांक 16–8–2016 को अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में किया गया है। अपीलान्ट को नकल दिनांक 6–9–2016 के आवेदन पर दिनांक 22–9–2016 को प्राप्त हुई है, अर्थात नकल दिये जाने में 16 दिन का विलम्ब हुआ है। अपील के लिए मयाद 2 माह यानि 16–8–2016 से 15–10–2016 होती है। अपील 11–11–2016 को यानि 26 दिवस विलम्ब से पेश हुई है। नकल दिए जाने के 16 दिन के विलम्ब को ध्यान में रखा जाय, तो भी 10 दिन के विलम्ब को कण्डोन किये जाने के लिए अपीलान्ट द्वारा कोई आवेदन पेश नहीं किया गया। अतएव प्रथम दृष्टया ही अपील बेरून मयाद होने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट का प्रमुख अपील उजर यह है कि उक्त भूमि उसे बाड़े के लिए आवंटित की गई थी। यह भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों से सुस्पष्ट है कि बाड़े की भूमि का आवंटन सर्वथा अस्थाई एवं कृषि सहयोगी कार्यो के लिए किया जाता है। यहां अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर जो कि बिलानाम सरकारी है, उस पर दुकानों का निर्माण कर लिया है, जो सिर्फ अविधिक है, अपितु राजकीय भूमि का निहायत दुरूपयोग है। अपीलान्ट वर्णित आधारों पर किसी प्रकार की राहत का अधिकारी नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16–8–2016 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री लालू पिता भेराजी भील (गमेती) निवासी वारणी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0) बनाम **मु. गंगाबाई बेवा खेमा जी भील (गमेती) निवासी वारणी, हाल भारोड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)**

अपील नं0 **2/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **मावली** ... मुकाम मुक्र्खे.....**27**.....माह.....**11**..... **2014**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**16**..... माह .....**08**..... सन् **2016** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री खेमराज डांगी..... मिनजानिब अपीलान्ट व ....अनुपस्थित ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2014 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**16**..... माह ...**08**..... **2016** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।